दिनांक 24.08.2026
प्रेस विज्ञप्ति 444/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मेरठ इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 24.08.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मेरठ इकाई** द्वारा अमित सिवाच निवासी राजभवन फौजी कॉलोनी मवाना रोड़ जनपद मेरठ से फर्म का टैण्डर जारी रखने एवं बिलो का भुगतान करने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्रीमती अर्चना के नेतृत्व में कार्यालय सहकारी डेयरी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान परतापुर मेरठ से **प्राचार्य वन्दना सिंह (सहकारी डेयरी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान परतापुर मेरठ)** पत्नी विशाल चौधरी निवासी 311 फ्लैट प्लेटिना टॉवर महागुना मीरावेला सेक्टर 79 विसरक नोएड़ा थाना 113 सेक्टर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर को **01 लाख 35 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 24.08.2026
प्रेस विज्ञप्ति 445/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0–अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह का सक्रिय सदस्य व जनपद झाँसी से 50,000/–रू0 का पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त युसुफ अंसारी जनपद बरेली से गिरफ्तार।

दिनांक 24–08–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह का सक्रिय सदस्य तथा थाना मोठ, जनपद झाँसी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 137/2025 धारा 8/ 20/29 एनडीपीएस एक्ट में वांछित व रू0 50,000/–का पुरस्कार घोषित अभियुक्त युसुफ अंसारी को जनपद बरेली से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

युसुफ अंसारी उर्फ आसिफ अंसारी पुत्र जवरूद्दीन अन्सारी, निवासी ग्राम–घिलौरा बल्लिया, थाना भमौरा, जनपद बरेली, उ0प्र0।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय

बदायूँ बरेली नेशनल हाईवे, चांदपुर बल्लिया रोड तिराहे पर थाना क्षेत्र भमौरा, जनपद बरेली।

दिनांक 24–08–2026 समय 12:45 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अभियुक्तों के सम्बन्ध में सूचनाएँ प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री जय प्रकाश राय के नेतृत्व में टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

एसटीएफ फील्ड इकाई प्रयागराज टीम द्वारा थाना मोठ जनपद झाँसी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 137/2025 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट में वांछित व रू0 50,000/–के पुरस्कार घोषित अभियुक्त युसुफ अंसारी की गिरफ्तारी हेतु अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त युसुफ

अंसारी जनपद बरेली में कहीं छिपकर रह रहा है। उक्त सूचना पर उपनिरीक्षक श्री रणेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य आरक्षीगण अश्वनी कुमार सिंह, सन्तोष कुमार, रोहित सिंह, किशन चन्द्र व आरक्षी चालक अखण्ड प्रताप पाण्डेय के द्वारा बदायूँ बरेली नेशनल हाईवे, चांदपुर बल्लिया रोड तिराहे पर थाना क्षेत्र भमौरा, जनपद बरेली पहुंच कर अभिसूचना संकलन के पश्चात अभियुक्त युसुफ अंसारी उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त युसुफ अंसारी उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि अवैध मादक पदार्थ तस्करी करने का उसका एक सक्रिय गिरोह है, जो अपने सहयोगियों के साथ मिलकर रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य से गांजा लाकर बिजनौर व आस पास के विभिन्न जनपदों में ऊँचें दामों पर बेचता है। वर्ष 2025 में अपने सहयोगी राहुल कुमार, जय प्रकाश व पवन पाण्डेय के साथ मिलकर डीसीएम में मछली के दाने की बोरियों की आड़ में अवैध मादक पदार्थ (गांजा) लोड कराया गया था, जिसे लेकर राहुल कुमार व जय प्रकाश बिजनौर आ रहे थे तभी रास्ते में एसटीएफ टीम द्वारा पकड़ लिया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना मोठ, जनपद झॉसी पर मु0अ0सं0 137/2025 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें वह वांछित चल रहा था और उसके ऊपर रू0 50,000/-का पुरस्कार घोषित होने की जानकारी होने पर वह गिरफ्तारी से बचने के लिए इधर-उधर लुक-छिपकर रह रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त युसुफ अंसारी उपरोक्त को थाना मोठ, जनपद झॉसी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 137/2025 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट में थाना भमौरा, जनपद बरेली में दाखिल किया गया। तत्पश्चात् सम्बन्धित माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के उपरान्त थाना मोठ, जनपद झॉसी में दाखिल किया जायेगा तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना स्थानीय द्वारा अमल में लाई जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त युसुफ अंसारी उर्फ आसिफ अंसारी उपरोक्त का ज्ञात आपराधिक इतिहासः-

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	1074/2024	8/20/29 एनडीपीएस एक्ट	कोतवाली नगर	बांदा
2	137/2025	8/20/29 एनडीपीएस एक्ट	मोठ	झॉसी

एसटीएफ–जनपद शामली से रू0 50,000/–का पुरस्कार घोषित अपराधी जाकिर पुत्र शमशाद एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार।

दिनांक 24–08–2026 को एसटीएफ उ0प्र0 को मु0अ0सं0 570/2025 धारा 309(4) बीएनएस थाना झिंझाना, जनपद शामली से वांछित एवं रू0 50,000/– के पुरस्कार घोषित अपराधी जाकिर पुत्र शमशाद को जनपद शामली से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्त का विवरणः–

जाकिर पुत्र शमशाद निवासी–न्यू सीमापुरी, डी–11, नियर बारात घर, पूर्वी दिल्ली।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनाँक, समयः–

दिनांक 24–08–2026, समयः 13.15 बजे, स्थानः गाडी वाला चौराहा, झिंझाना, शामली ।

एसटीएफ उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अभियुक्तों के सम्बन्ध में सूचनाएँ प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, नोएडा के पर्यवेक्षण मे एवं श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में उप निरीक्षक श्री दीपक कुमार एसटीएफ फील्ड इकाई, नोएडा द्वारा टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान दिनांक 24–08–2026 को एस0टी0एफ0 गौतमबुद्धनगर की टीम अभिसूचना संकलन के क्रम में जनपद शामली में भ्रमणशील थी। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि थाना झिंझाना, जनपद शामली के मुकदमा उपरोक्त में वांछित रू0 50 हजार का ईनामी जाकिर पुत्र शमशाद झिंझाना, जनपद शामली के इलाके में मौजूद है। इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम द्वारा स्थानीय पुलिस को साथ लेकर गन्तव्य स्थान पर पहुँचकर अभियुक्त जाकिर पुत्र शमशाद उपरोक्त को गाड़ी वाला चौराहा, थाना क्षेत्र झिंझाना, जनपद शामली से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त जाकिर ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र लगभग 37 वर्ष है। उसके पिताजी रंगाई–पुताई का काम करते थे। वर्ष 1996–97 में इसके पिता परिवार सहित सुन्दर नगरी दिल्ली में आकर रहने लगे थे। इसके द्वारा 07 तक पढाई की है, किन्तु पढाई–लिखाई में इसका मन न लगने के कारण पढाई छोडकर बस पर हैल्पर का काम शुरू कर दिया तथा फिर ड्राइविंग का काम करने लगा। ड्राइविंग के

काम के दौरान ही इसकी मुलाकात दानिश, रिहान व इमरान से हुई, जो पूर्व से ही दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में चैन, पर्स, मोबाईल इत्यादि लूटने का काम करते थे। यह भी इनके साथ मिलकर यही काम करने लगा। वर्ष 2018 में इसे लूट के एक अभियोग में साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा जेल से बाहर आकर अपने गिरोह के साथ मिलकर पुनः यह लूट की घटनाएं करने लगा। लूट की एक घटना के सम्बन्ध में सी0सी0टी0वी0 से पहचान होने पर वर्ष 2024 में बड़ौत, जनपद बागपत पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। वर्ष 2025 में जाकिर के द्वारा अपने गैंग के साथ मिलकर थाना झिंझाना जनपद शामली में लूट की एक घटना कारित की थी, जिसमें यह वांछित चल रहे थे तथा इसकी गिरफ्तारी पर 50 हजार रूपये का ईनाम घोषित किया गया था तथा यह गिरफ्तारी के डर से लगातार अपने ठिकाने बदल कर अलग–अलग स्थानों पर छिपकर रह रहा था। अभियुक्त जाकिर की अन्य गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

अभियुक्त जाकिर उपरोक्त का ज्ञात आपराधिक इतिहास निम्नवत् है–

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	नाम थाना	जनपद
1	1091/18	392 IPC	थाना साहिवाबाद	गाजियाबाद
2	1201/18	3/25 A Act	थाना साहिवाबाद	गाजियाबाद
3	1202/18	414,411 IPC	थाना साहिवाबाद	गाजियाबाद
4	15705/18	379,411,34 IPC	जीटीबी इन्कलेब	दिल्ली
5	715/21	392,411 IPC	थाना कौशाम्बी	गाजियाबाद
6	743/21	392,411 IPC	थाना कौशाम्बी	गाजियाबाद
7	766/21	392,411 IPC	थाना कौशाम्बी	गाजियाबाद
8	798/21	392,411 IPC	थाना कौशाम्बी	गाजियाबाद
9	1925/21	392,411 IPC	थाना इन्द्रिरापुरम	गाजियाबाद
10	2046/21	392,411 IPC	थाना साहिवाबाद	गाजियाबाद
11	2125/21	392 IPC	थाना इन्द्रिरापुरम	गाजियाबाद
12	2129/21	392 IPC	थाना इन्द्रिरापुरम	गाजियाबाद
13	2132/21	392 IPC	थाना इन्द्रिरापुरम	गाजियाबाद
14	2240/21	392 IPC	थाना साहिवाबाद	गाजियाबाद
15	2274/21	392,411 IPC	थाना इन्द्रिरापुरम	गाजियाबाद
16	2288/21	392,411 IPC	थाना इन्द्रिरापुरम	गाजियाबाद
17	2329/21	392,411 IPC	थाना इन्द्रिरापुरम	गाजियाबाद
18	385/22	2/3 GANGSTERS ACT	थाना इन्द्रिरापुरम	गाजियाबाद
19	339/24	307, 420, 465IPC 3/25 A Act	थाना बडौत	बागपत
20	570/25	309(4) BNS	झिझाना	शामली

गिरफ्तार अभियुक्त जाकिर उपरोक्त को थाना झिंझाना, जनपद शामली के मु0अ0सं0 570/2025 धारा 309(4) बीएनएस में दाखिल किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

जनपद सुलतानपुर/थाना अखण्डनगर

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **भारी मात्रा में चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **चोरी के 18 हजार 100 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 24.08.2026 को थाना अखण्डनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर उमरी स्कूल के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–विपिन घायल हो गया, जिसे अभियुक्त नागेन्द्र कुमार उर्फ बबलू 3–नीरज सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से भारी मात्रा में चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण, चोरी के 18 हजार 100 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना अखण्डनगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना अखण्डनगर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त विपिन के विरूद्ध जनपद सुलतानपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 15 अभियोग, अभियुक्त नागेन्द्र कुमार उर्फ बबलू के विरूद्ध जनपद सुलतानपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 06 अभियोग एवं अभियुक्त नीरज के विरूद्ध जनपद सुलतानपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना अखण्डनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विपिन निवासी दामोदरपुर थाना कादीपुर जनपद सुलतानपुर।

2–नागेन्द्र कुमार उर्फ बबलू निवासी मझगवां थाना कादीपुर जनपद सुलतानपुर।

3–नीरज निवासी अलीपुर कांपा थाना अखण्डनगर जनपद सुलतानपुर।

<u>बरामदगी</u>

1–भारी मात्रा में चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–चोरी के 18 हजार 100 रूपये नगद।

3–01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

- **<u>जनपद बहराइच/थाना दरगाह शरीफ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना दरगाह शरीफ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–सोनू 2–अभियुक्ता को सश्रम आजीवन कारावास व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हरदोई/थाना अरवल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 12 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना अरवल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त बबलू को आजीवन कारावास व 12 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हापुड़/थाना धौलाना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हापुड़ द्वारा थाना धौलाना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376(3) भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अशफाक को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————